RBI की नई ऋण पुनर्गठन योजना

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

11 अगस्त, 2020

''आरबीआई ने महामारी के कारण उत्पन्न तनाव से ग्रसित उधारकर्ताओं के लिए ऋण पुनर्गठन योजना को मंजूरी दे दी है। इस आलेख में हम जानेंगे कि यह योजना कैसे काम करेगी और इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए कौन-कौन से सुरक्षा उपाय किए गये हैं?''

गुरुवार को अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा में, भारतीय रिजर्व बैंक ने तनावग्रस्त उधारकर्ताओं के लिए ऋण पुनर्गठन योजना को हरी झंडी दे दी। कंपनियों और व्यक्तियों को एकमुश्त ऋण पुनर्गठन प्रदान करने वाली एक विशेष खिड़की प्रदान की है, जो विशेष रूप से कोविड-19 महामारी से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करेगी।

योजना का लाभ किसे मिलेगा?

केवल ऐसे कंपनियां और व्यक्ति जिनके ऋण खाते 1 मार्च, 2020 तक 30 दिनों से अधिक डिफॉल्ट नहीं हैं, वही केवल वन टाइम ऋण पुनर्गठन के लिए योग्य हैं। कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं के लिए, बैंक 31 दिसंबर, 2020 तक संकल्प योजना बना सकते हैं और इसे 30 जून, 2021 तक लागू कर सकते हैं। ऐसे ऋण खातों को आह्वान की तारीख तक मानक बना रहना चाहिए। एकमुश्त पुनर्गठन का विकल्प सभी क्षेत्रों में उपलब्ध है।

इससे उन कंपनियों को राहत मिलने की उम्मीद है जो समय पर ऋण दायित्वों की पूर्ति कर रही थीं, लेकिन मार्च के बाद लॉकडाउन के उनके लिए समय पर ऋण का भुगतान करना मुश्किल हो गया था। हालांकि,1 मार्च को 30तक अधिक दिनों के लिए पहले से ही डिफॉल्ट रूप से मौजूद कंपनियां, इस सुविधा का लाभ नहीं उठा सकती हैं। उद्योग से संबंधित लोगों का कहना है कि यह उन कंपनियों को प्रभावित कर सकता है जो लाभप्रदता हासिल करने वाली थीं, लेकिन जब लॉकडाउन लगाया गया, तो उनपर बुरा प्रभाव पड़ा।

व्यक्तिगत ऋण के लिए, संकल्प योजना को 31 दिसंबर, 2020 तक लागू किया जा सकता है और इसके बाद 90 दिनों के भीतर लागू किया जाएगा। यह भी मानक के रूप में वर्गीकृत खातों के लिए है, लेकिन 1 मार्च तक 30 दिनों से अधिक समय तक डिफॉल्ट रूप में नहीं हैं।

इसे कैसे लागू किया जाएगा?

आरबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व अध्यक्ष के. वी. कामथ की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है, जो आवश्यक वित्तीय मापदंडों पर सिफारिशें करेगी।पैनल ऐसे मापदंडों के लिए सेक्टर-विशिष्ट बेंचमार्क श्रेणियों की सिफारिश करेगा, जो कि लागू होने के समय 1,500 करोड़ रुपये या उससे अधिक के कुल अनावृत्ति वाले उधारकर्ताओं के लिए प्रत्येक संकल्प प्लान में शामिल किए जाएंगे। समिति एक निर्दिष्ट सीमा से ऊपर के खातों के लिए संकल्प योजनाओं की एक प्रक्रिया सत्यापन भी करेगी। आरबीआई 30 दिनों में संशोधनों के साथ इसे अधिसूचित करेगा। इसका मतलब यह है कि आरबीआई इसके लिए अंतिम निर्णय लेगी की इसके लिए कौन योग्य हैं और इसका मापदंड क्या होगा।

आरबीआई के प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण के अनुसार, महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले तीन क्षेत्र हैं- पर्यटन एवं आतिथ्य, निर्माण एवं अचल संपत्ति, और विमानन।

योजना का बैंकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

इसका सबसे बड़ा असर यह होगा कि बैंक गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) में वृद्धि की काफी हद तक जांच कर सकेंगे। हालाँकि, यह एनपीए को मौजूदा स्तरों से नीचे नहीं ला पाएगा और प्रणाली के भीतर 9 लाख करोड़ रुपये के बैड लोन मौजूद रहेंगे। इस संकल्प के बाद के ऋणों के लिए बैंकों को अतिरिक्त 10% दंड का प्रावधान बनाए रखने होंगेऔर योजना के लागू होने के 30 दिनों के भीतर अंतर-लेनदार समझौते (आईसीए) पर हस्ताक्षर नहीं करने वाले उधारदाताओं के लिए 20% दंड का प्रावधान बनाना होगा। यह एक तरीके से बैंकों के लिए बोझ होगा। हालांकि ऋण लेने वालों का एक तबका, जो एक ऋण स्थगन के लिए चला गया है, वह भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, साथ ही बैंकों को व्यक्तिगत संकल्प योजनाओं को पूरा करने में समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, उन्हें केवल उधारकर्ताओं से निपटना होगा जो महामारी के बाद तनावग्रस्त थे।

क्या पहले ऐसी योजनाओं का बैंकों और कॉर्पोरेट्स द्वारा दुरुपयोग नहीं किया गया था?

सीडीआर:आरबीआई ने 1 अप्रैल, 2015 से कॉर्पोरेट ऋण पुनर्गठन (सीडीआर) योजना को बंद कर दिया था, कई वर्षों से, कॉर्पोरेट कुछ बैंकों के साथ मिलकर ऋण पुनर्गठन योजनाओं का दुरुपयोग कर रहे थे।बैंकों ने एक अलग सीडीआर सेल भी बनाया, जिसकी प्रक्रिया पूर्व में IDBI की देखरेख में हो रही थी।

एसडीआर: स्ट्रैटेजिक डेट रीस्ट्रक्चरिंग (एसडीआर) योजना के तहत, बैंकों को ऋण राशि को 51% इक्विटी में परिवर्तित करने का अवसर दिया गया था, जिसे एक बार फर्म के व्यवहार्य होने पर उच्चतम बोली लगाने वाले को बेचा जाना था। यह बैंकों को उनकी बैड लोन समस्या को हल करने में मदद करने में असमर्थ था क्योंकि व्यवहार्यता के मुद्दों के कारण इस उपाय के माध्यम से केवल दो बिक्री ही हो सकी है।

S4A: स्ट्रेस्ड एसेट्स (S4A) स्कीम की सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग में, बैंक राइट-डाउन (किसी संपत्ति के अनुमानित या नाममात्र मूल्य में कमी) देने को तैयार नहीं थे क्योंकि ऐसा करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं था और बड़े देनदारों के राइट-डाउन से बैंकों की पूंजी तक खत्म हो सकती थी।

5/25: यह स्कीम पर रोक लगा दी गई क्योंकि पुनर्वित्त अधिक ब्याज दर पर किया गया था ताकि बैंक ऋण राशि के शुद्ध वर्तमान मूल्य को संरक्षित कर सकें। ऐसी धारणा थी कि यह बैंकों द्वारा एनपीए को कवर करने के लिए तैनात किए गए उपकरणों में से एक था।

एआरसी: परिसंपत्ति पुनर्निर्माण योजना में, बड़ी समस्या यह थी कि परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) को उन परिसंपत्तियों का निपटान करना मुश्किल हो रहा था जो उन्होंने बैंकों से खरीदी थी। इसलिए, वे कम कीमतों पर ही ऋण खरीदना चाहते थे। नतीजतन, बैंक उन्हें बड़े पैमाने पर ऋण बेचने के लिए अनिच्छुक हो गये।

IBC: दिवाला और दिवालियापन संहिता को शुरू कर दिया गया; आरबीआई ने 7 जून के परिपत्र के माध्यम से एक सख्त ऋण समाधान प्रक्रिया की घोषणा की।

क्या नई योजना के दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा उपाय हैं?

हां, आरबीआई ने यह सुनिश्चित करने के लिए संकल्प तंत्र में सुरक्षा उपायों का निर्माण किया है ताकि पहले की तरह बैड लोन की समस्या फिर से उत्पन्न न हो। इसके लिए रेटिंग एजेंसियों द्वारा किए गए स्वतंत्र क्रेडिट मूल्यांकन और के.वी. कामथ के नेतृत्व वाली विशेषज्ञ समिति द्वारा एक प्रक्रिया सत्यापन की आवश्यकता होगी।

आरबीआई ने कहा है कि संकल्प के तहत ऋण की अवधि दो साल से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती। एकल उधारकर्ता को कई उधारदाताओं के मामले में, बैंकों को आईसीए पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है। अपेक्षित ऋण घाटे के प्रभाव को कम करने के लिए, बैंकों को संकल्प के तहत ऐसे खातों के लिए 10% दंड का प्रावधान करने की आवश्यकता है। आईसीए का हिस्सा न बनने के इच्छुक बैंकों के लिए, 20% का दंडात्मक प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है।

पिछली पुनर्गठन योजनाओं में प्रमुख अंतर क्या हैं?

पूर्व की पुनर्गठन योजनाओं में कोई प्रवेश बाधा नहीं थी, लेकिन वर्तमान योजनामें प्रवेश बाधाहै जो केवल कोविड-19 से संबंधित तनाव का सामना करने वाली कंपनियों के लिए उपलब्ध है, जिसके लिए 1 मार्च की कट-ऑफ तारीख दी गयी है। संकल्प योजना के लागू होने के लिए सख्त समय सीमा और इसके कार्यान्वयन को इस योजना में परिभाषित किया गया है।

GS WORLD

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. स्ट्रैटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग (एसडीआर) योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:-

1. यह योजना बैंक और गैर-बैंकिंग ऋण संस्थानों को उनके ऋणों को इक्विटी हिस्सेदारी में परिवर्तित करने की अनुमति देती है।
2. यह योजना केवल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी)के लिए है।
3. एसडीआर लागू करने का निर्णय कर्जदार के खाते की समीक्षा के 30 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

Expected Question (Prelims Exams)

Q. Consider the following statements in the context of 'Strategic Date Restructuring (SDR) scheme: -

1. The scheme allows banks and non-banking lending institutions to convert their loans into equity shares.
2. The scheme is only for Regional Rural Banks (RRBs).
3. The decision to implement the SDR should be made within 30 days of the review of the borrower's account.

Which of the statements given above is/are correct?

(a) 1 only (b) 2 only
(c) 1 and 3 (d) All of the above

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. हाल ही में आरबीआई ने महामारी के कारण उत्पन्न तनाव से ग्रसित उधारकर्ताओं के लिए ऋण पुनर्गठन योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना प्रकाश डालते हुए बताये कि यह एनपीए की समस्या से निपटने में कैसे सहायक सिद्ध होगा?

Q. Recently, the RBI has approved a debt restructuring plan for borrowers suffering from the stress caused by the epidemic. Highlighting this scheme, explain how it will be helpful in tackling the problem of NPA?